कार्यालय अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

ऑनलाईन काउंसलिंग प्रक्रिया
सत्र : 2019–20

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, दिनांक 07 जून 2010 में उल्लेखित नियम–7(2) के अधीन प्राप्त शक्तियों के अनुपालन में काउंसलिंग हेतु वर्ष 2019–20 के लिये काउंसलिंग प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु प्रमुख स्टेप

- निःशुल्क पंजीयन (NRI, IPS एवं CLC को छोड़कर) एवं सत्यापन सुविधा।
  (Free Registration and Verification Facility)

- पंजीयन के दौरान दस्तावेजों का ऑनलाईन ई–सत्यापन अथवा पंजीयन उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों पर।
  (Online e-verification of documents Or Documents verification at Aurhorised Help Centers by the candidates)

- प्राथमिकताक्रम का चयन तथा शिक्षण शुल्क का आंशिक भुगतान।
  (Preference/Choice Filling and Part Payment of Tuition Fee)

- आवंटन (Allotment)

- दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों पर *(ऐसे अभ्यर्थी जो कि आरक्षित श्रेणी अथवा वर्ग का लाभ प्राप्त नहीं करना चाहते है एवं जिन्हें पंजीयन उपरांत ऑनलाईन ई–सत्यापन पर्ची प्राप्त नहीं हुई है तथा जिन्होंने प्राथमिकता चयन के पूर्व दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों से नही कराया हैं)*
  Documents Verification at authorized Help Centers *(Candidates allotted Private Institutions and did not get Online e-verification Slip after Registration or not verified from the help centers before choice filling.)*

- आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश। (Reporting and Admission in Alloted Institute)

काउंसलिंग में सम्मिलित होने के माध्यम
▪ **इंटरनेट द्वारा कम्प्यूटर/एन्ड्रायड फोन के माध्यम से कहीं से भी।** ▪ **निकटस्थ सहायता केन्द्रों से (सूची वेबसाइट dte.mponline.gov.in/ पर उपलब्ध रहेगी)**
काउंसलिंग हेतु भुगतान करने के माध्यम
▪ **इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड।** ▪ **अधिकृत सहायता केन्द्रों पर नगद भुगतान।** ▪ **एमपीऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान।**

पंजीयन (Registration)

- समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये निःशुल्क (NRI, IPS एवं CLC को छोड़कर) ऑनलाईन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी, प्रवेश परीक्षा/अर्हकारी परीक्षा के आधार पर केवल एक बार पंजीयन करवाकर काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकता है।
- अभ्यर्थी को पंजीयन की कार्यवाही आरम्भ करने के पूर्व निम्नलिखित जानकारी अपने साथ रखना आवश्यक होगीः–

  प्रवेश परीक्षा(जेईई(मेन)/पीपीटी/सी–मेट/ नाटा/गेट/जीपेट) की अंकसूची, हाई स्कूल(10वीं) परीक्षा की अंकसूची, अर्हकारी परीक्षा (यथा दसवीं/बारहवी/डिप्लोमा/स्नातक) की अंकसूची, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो), किसी भी तरह का आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र (यथा SC/ST/OBC/S/FF/TS/HC/NCC/BPL/ClassIV/JK) (यदि लागू हो), पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अभ्यर्थी का मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आईडी, (काउंसलिंग संबंधित सूचनाओं एवं अस्थाई पासवर्ड प्राप्ति हेतु)

- पंजीयन प्रक्रिया उपरांत अस्थाई पासवर्ड प्राप्त होगा जिसे सुरक्षा की दृष्टि से बदल लेवें एवं गोपनीय रखें। पासवर्ड काउंसलिंग के दौरान कभी भी बदला जा सकता है। पासवर्ड भूलने की स्थिति में वेबसाईट dte.mponline.gov.in पर फॉरगेट पासवर्ड (Forgot Password) लिंक के माध्यम से प्राप्त कर सकते है।

दस्तावेजों का ऑनलाईन ई–सत्यापन
(Online e-verification of documents)

- ऑनलाईन जानकारी उपलब्ध होने पर, पंजीयन के समय अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम, श्रेणी का सत्यापन अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये रोल नंबर/समग्र आईडी नंबर के आधार पर ऑनलाईन–सत्यापन किया जावेगा। यदि अभ्यर्थी की संपूर्ण जानकारी ई–वेरिफाइड हो जाती है तो उन्हें पंजीयन एवं ई–दस्तावेज सत्यापन की पर्ची जारी की जावेगी।

- अभ्यर्थी की समस्त जानकारी ऑनलाईन–सत्यापन न होने की स्थिति में केवल पंजीयन की पर्ची जारी की जायेगी, ऐसे अभ्यर्थी यदि किसी श्रेणी अथवा वर्ग के आरक्षण का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें आवश्यक रूप अपने दस्तावेजों का सत्यापन प्राथमिकता चयन के पूर्व निर्धारित तिथि में सहायता केन्द्रों से कराना आवश्यक होगा, अन्य समस्त अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र की संस्था आवंटित होने की स्थिति में संस्था में प्रवेश/रिपोर्टिंग के पूर्व अधिकृत सहायता केन्द्र पर अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा तदुंपरांत ही प्रवेश रिपोर्टिंग की जा सकेगी। यदि अभ्यर्थियों को शासकीय/स्वशासी/स्ववित्तीय/अनुदान प्राप्त आवंटन प्राप्त हुआ है तब वे सीधे ही प्रवेश/रिपोर्टिंग की कार्यवाही कर सकेंगे।
- काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थी पंजीयन के समय अर्हकारी परीक्षा के अंको का विवरण, जन्म तिथि एवं श्रेणी सावधानी पूर्वक भरें। अभ्यर्थी द्वारा दी गई इस जानकारी के आधार पर प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर एवं अर्हकारी परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों में अर्हकारी परीक्षा के अकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाकर आवंटन जारी किया जाता है। अतः आवंटन पश्चात् सत्यापन की स्थिति में पंजीयन के समय भरी गई जानकारी में त्रुटि पाये जाने पर अभ्यर्थी का आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा एवं अभ्यर्थी को गलत जानकारी प्रदाय करने के कारण वैद्यानिक कार्यवाही का सामना भी करना पड़ सकता है।

प्राथमिकताक्रम का चयन तथा आंशिक शिक्षण शुल्क का भुगतान
(Preference/Choice Filling and Part Payment of Tuition Fee)

- अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 10 (जिन पाठ्यक्रमों में 10 से अधिक विकल्प उपलब्ध हैं, शेष पाठ्यक्रमों में कम–से–कम एक) अधिक से अधिक सभी उपलब्ध संस्थाओं/पाठ्यक्रम का प्राथमिकतानुसार ऑनलाईन चयन कर सकेंगे। अभ्यर्थी को अधिक से अधिक प्राथमिकता (Choice) भरने की सलाह दी जाती है।
- अभ्यर्थी को प्राथमिकताक्रम चयन को लॉक करने के लिये काउंसलिंग शुल्क एवं आंशिक शिक्षण शुल्क का भुगतान करना होगा।
- अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पूर्व चयनित प्राथमिकताक्रम को कितनी भी बार बदल सकते है।
- प्राथमिकताक्रम (Choice) लॉक करने हेतु समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को, शुल्क का भुगतान करते समय एक One Time Password (OTP) पासवर्ड उनके द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर प्राप्त होगा जिसकी प्रविष्टि करने पर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होकर चयनित प्राथमिकताक्रम लॉक हो जावेगा तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंनें काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नही की है अथवा जिन्होनें संस्था में प्रवेश प्राप्त कर उसको निरस्त करवा लिया है, उन्हें काउंसलिंग के उत्तरोत्तर चरण में सम्मिलित होने के लिये संस्थाओं की ऑनलाईन प्राथमिकता क्रम के चयन उपरांत लॉक की कार्यवाही

पुनः पूर्ण करना होगा। ऐसे समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) लॉक करने के लिये निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

ऑनलाईन आवंटन (Online Allotment)

- मेरिट के अनुसार प्राथमिकताक्रम एवं आरक्षण नियमों के अनुसार आवंटन करने के उपरान्त, आवंटन पत्र जारी होगा।
- जिन पाठ्यक्रमों में अपग्रेडेशन का विकल्प उपलब्ध है तथा अभ्यर्थी अपग्रेडेशन का नियमानुसार विकल्प ऑनलाईन प्रस्तुत करता है, तब उसे उच्च प्राथमिकता के लाभ का अवसर मिलेगा। अपग्रेडेशन के उपरांत नवीन आवंटन अनुसार संस्था/पाठ्यक्रम में निर्धारित तिथि के पूर्व प्रवेश प्राप्त करना होगा।
- यदि अभ्यर्थी आवंटित संस्था में निर्धारित समय सारणी अनुसार प्रवेश अथवा अपग्रेडेशन का विकल्प प्रस्तुत नही करता है तो उसका आवंटन निरस्त माना जावेगा तथा अभ्यर्थी द्वारा जमा आंशिक शिक्षण शुल्क की राशि जप्त कर ली जावेगी ।

दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)

- पंजीयन के समय केवल पंजीयन की पर्ची प्राप्त ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि किसी भी प्रकार के आरक्षण (श्रेणी/वर्ग) का लाभ चाहते है, तब उनको प्राथमिकता चयन के पूर्व अपने मूल दस्तावेजों का अधिकृत निकटस्थ सहायता केन्द्र पर सत्यापन करवाना होगा। शेष समस्त अभ्यर्थियों को, प्राथमिकता चयन के पूर्व अथवा आवंटन उपरांत (जिन्हें निजी क्षेत्र की संस्था में आवंटन प्राप्त हुआ है) मूल दस्तावेजों का अधिकृत निकटस्थ सहायता केन्द्र पर सत्यापन करवाना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पंजीयन एवं ई–दस्तावेज सत्यापन की पर्ची प्राप्त हुई है उन्हें अधिकृत सहायता केन्द्रों से सत्यापन कराने की आवश्यकता नही है।
- दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही अधिकृत सहायता केन्द्र से पूर्ण करवा चुके अभ्यर्थी, यदि काउंसलिंग के आगामी चरण में भाग लेने के इच्छुक है, तब उन्हें दस्तावेजों का पुनः सत्यापन करवाना आवश्यक नही होगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी यदि सत्यापन में सुधार करवाना चाहते है तो वे पुनः सत्यापन संबंधी कार्यवाही अधिकृत सहायता केन्द्रों पर उपस्थित होकर करवा सकते है।
- प्राथमिकता चयन के पूर्व यदि अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाईन नही हो सका है अथवा सहायता केन्द्रों पर नही कराया है एवं उन्हें निजी क्षेत्र की संस्था आवंटित हुई है ऐसे अभ्यर्थियों को आवंटन उपरांत अपने दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों पर कराना आवश्यक होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के अभाव में अभ्यर्थी आवंटित संस्था में प्रवेश प्राप्त नही कर सकेगा।
- जिन अभ्यर्थियों ने प्राथमिकता चयन के पूर्व दस्तावेजों का सत्यापन नही कराया है ऐसे अभ्यर्थियों का आवंटन पंजीयन के समय उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर किया जावेगा। आवंटन उपरांत दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो अभ्यर्थी का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।

- ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्हें शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय संस्थाऐं आवंटित हुई हैं, वे सीधे आवंटित संस्था में उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराकर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर सकेंगे।
- सत्यापन उपरांत Eligible/Not Eligible की पावती की जांच कर सुरक्षित रखें। Not Eligible की पावती प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थी अपने वैद्य दस्तावेजों के साथ पाठ्यक्रमवार निर्धारित रिपोर्टिंग तिथि के एक दिन पूर्व तक सहायता केन्द्रों में उपस्थित होकर अपने दस्तावेज पुनः सत्यापन करवाने के उपरांत आवंटित संस्था में रिपोटिंग कर सकता है।
- ग्रेड आधारित अंकसूची जिसमें प्रतिशत प्राप्त करने हेतु कनवर्जन फार्मूला उपलब्ध न हो तो अभ्यर्थी को संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय का तत्संबंधी प्रमाण–पत्र लाना होगा।
- यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण दस्तावेजों के सत्यापन के लिये स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है, तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से दस्तावेजों के सत्यापन कराने के लिये उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यर्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी.एम.ओ./सिविल सर्जन व्दारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण–पत्र के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करे। यदि बाद में यह पाया जाए कि अभ्यर्थी व्दारा गलत जानकारी उपलब्ध कराई गई थी, तो अभ्यर्थी स्वयं ही प्रवेश रद्द किए जाने का उत्तरदायी होगा।

आवंटित संस्था में उपस्थिति, रिपोर्टिंग एवं प्रवेश
(Reporting and Admission in Alloted Institute)

- अभ्यर्थी को रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि के पूर्व आवंटित संस्था में आवंटन पत्र के साथ–साथ समस्त आवश्यक प्रमाण–पत्र तथा आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित होना होगा।
- संस्था में दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थी अपने पासवर्ड के माध्यम से रिपोर्टिंग कर प्रवेश प्राप्त करेंगे। अभ्यर्थी संस्था से ऑनलाईन प्रवेश पर्ची (Admission Slip) प्राप्त कर उसका सूक्ष्मता से अवलोकन अवश्य कर लेवें।
- अभ्यर्थी को सत्यापन के दौरान अयोग्य घोषित होने पर Not Eligbile की पर्ची प्राप्त होगी।
- Not Eligbile अभ्यर्थी रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि के पूर्व अपने वैध दस्तावेजों के साथ आवंटित संस्था में पुनः उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।
- अनुपस्थित/Not Eligbile अभ्यर्थी की सीटें रिक्त मानी जावेंगी तथा रिक्त स्थान अगले चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित किया जावेगा।
- प्रवेश उपरांत संस्था के अधिकृत अधिकारी प्रवेशित अभ्यर्थियों के नाम को संस्था के जी2जी लॉगईन में उपलब्ध प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची से पुष्टि अवश्य कर लेवें।
- प्रवेशित अभ्यर्थी अपना प्रवेश संबंधी विवरण वेबसाइट पर **"चेक केंडिडेट स्टेटस"** (Check Candidate Status) लिंक से सुनिश्चित कर सकते है।

- **उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण–पत्र प्रवेशित संस्था में किसी भी परिस्थिति में जमा नही करना होगा।**
- अभ्यर्थी को शासन/प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी तरह का शुल्क आवंटित संस्था को देय नहीं है। (शुल्क के विवरण हेतु वेबसाइट www.afrcmp.org देखें)

द्वितीय चरण की काउंसलिंग
(Second Phase Counselling)

- प्रवेश परीक्षा आधारित प्रथम चरण कांउसलिंग उपरान्त रिक्त सीटों हेतु द्वितीय चरण की कांउसलिंग आयोजित की जायेगी।
- ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं हो सके अथवा प्रथम चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश नहीं ले सकें अथवा प्रथम चरण में जिन्हें आवंटन प्राप्त नहीं हुआ अथवा प्रथम चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश प्राप्त कर अपना प्रवेश निरस्त करवा लिया हो सम्मिलित हो सकेंगे।
- अभ्यर्थी जो प्रथम चरण आवंटन पश्चात अपात्र घोषित किये गये है। ऐसे सभी अभ्यर्थी पंजीयन में दस्तावेजों के अनुसार आवश्यक सुधार कर द्वितीय चरण की कांउसलिंग में शामिल हो सकेंगे।
- अभ्यर्थीयों को द्वितीय चरण/अर्हकारी परीक्षा आधारित चरण में काउंसलिंग प्रक्रिया में बताये अनुसार सभी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

आंतरिक ब्रांच परिवर्तन
(Internal Branch Change)
केवल बी.ई.(फुल टाईम) पाठ्यक्रम हेतु

केवल बी.ई.(फुल टाईम) पाठ्यक्रम में केन्द्रीयकृत द्वितीय चरण की काउंसलिंग के पश्चात् संस्था में प्रवेशित अभ्यर्थी यदि अपनी प्रवेशित संस्था में ही ब्रांच परिवर्तन चाहते हैं तो उन्हें निर्धारित समय सारणी अनुसार ऑनलाईन आवेदन कर ब्रांच के विकल्प प्रस्तुत करने होंगे। ब्रांच परिवर्तित होने की दशा में उनकी पूर्व आवंटित ब्रांच का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा नई आवंटित ब्रांच में ही उसका प्रवेश मान्य होगा।

प्रवेश निरस्तीकरण
(Admission Cancellation)

- किसी भी चरण की काउंसलिंग में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी यदि अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहते हैं तो उन्हें निरस्तीकरण की कार्यवाही पाठ्यक्रमवार घोषित तिथियों में अपनी प्रवेशित संस्था से करवाना होगा। संस्था द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण न किये

जाने की दशा में काउंसलिंग अवधि में अभ्यर्थी काउंसलिंग से संबंधित समस्त दस्तावेजों के साथ निकटतम सहायता केन्द्र पर उपस्थित होकर अपना प्रवेश निरस्त करवा सकते है।

- यदि किसी प्रकरण पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।
- मान. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है। अतः यदि छात्र 07 अगस्त तक अपना प्रवेश निरस्त कराता है तो संस्था में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि में से 10 प्रतिशत की कटौती कर, शेष राशि वापिस कर दी जायेगी तदापि परामर्श (काउंसलिंग) फीस वापसी योग्य नहीं होगी। यदि छात्र द्वारा 07 अगस्त के पश्चात् अपना प्रवेश निरस्त कराया जाता है तो उसके द्वारा संस्था में जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि भी वापसी योग्य नहीं होगी।
- प्रवेश की अंतिम तिथि **14 अगस्त 2019** के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी तथा प्रवेशित संस्था से संस्था छोड़ने के लिये स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (TC) प्राप्त करना होगा।

विशेष सीटों पर प्रवेश की जानकारी

- **शिक्षण शुल्क छूट योजना (TFW) के अंतर्गत प्रवेश**
- **अनिवासी भारतीय (NRI) सीटों पर प्रवेश**
- **संस्थागत प्राथमिकता (IPS) सीटों के अंतर्गत प्रवेश**
- **विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय मूल के नागरिकों के बालकों (सी.आई.डब्ल्यू.जी.सी.) सीटों के अंतर्गत प्रवेश**

शिक्षण शुल्क छूट योजना (TFW) के अंतर्गत प्रवेश

बी.ई.(फुल टाईम)/पीपीटी, नॉनपीपीटी (डिप्लोमा)/एम.बी.ए.(फुल टाईम)/एम.सी.ए. पाठ्यक्रमों हेतु

- जिन संस्थानों ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त की है एवं विगत वर्ष में प्रवेश क्षमता के 30 प्रतिशत तक स्थानों पर प्रवेश हुए है, उन संस्थानों में 5 प्रतिशत अधिसंख्य सीटें शिक्षण शुल्क छूट योजना में उपलब्ध रहेंगी।
- शिक्षण शुल्क छूट योजनांतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा।

- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली की इस योजना के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति/शासन द्वारा संबंधित संस्थानों के लिये निर्धारित शिक्षण शुल्क की सम्पूर्ण छूट दी जावेगी। शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा वहन किए जाएंगे।
- यह योजना मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिये है जिनके परिवार की समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय ₹ 8.0 लाख रूपये से अधिक नही हो।
- बी.ई.पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये JEE (Main)-2019 तथा पीपीटी डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु PPT-2019 में सम्मिलित होना आवश्यक है।
- इस योजना का लाभ केवल प्रवेश परीक्षा के आधार पर केन्द्रीयकृत काउंसलिंग के माध्यम से ही दिया जायेगा।

अनिवासी भारतीय (NRI) सीटों पर प्रवेश

- जिन संस्थानों ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से इस योजना की अनुमति प्राप्त की है, उन संस्थानों में 5 प्रतिशत सीटें उपलब्ध रहेंगी।
- मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र 266 दिनांक 19 मई, 2011 में प्रकाशित **''प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011''{Admission (Reservation to Non-Resident Indian in AICTE Approved Courses) Regulations, 2011}** के आधार पर स्वीकृत पाठ्यक्रमों में एनआरआई सीटों पर प्रवेश हेतु अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों (स्वयं, माता या पिता अनिवासी भारतीय हों) से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित कर निर्धारित तिथि को केन्द्रीयकृत काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश दिये जावेंगे।
- इन सीटों पर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क देय होगा।
- अनिवासी भारतीय सीटों की काउंसलिंग पृथक से की जावेगी इस हेतु अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिये अधिकृत पोर्टल पर पृथक से पंजीयन कराकर पूर्व निर्धारित तिथि एवं स्थान को उपस्थित होकर प्रवेश संबंधी प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।
- विस्तृत प्रवेश प्रक्रिया एवं समय–सारणी तत्समय वेबसाइट पर जारी की जावेगी।

संस्थागत प्राथमिकता (IPS) सीटों के अंतर्गत प्रवेश

केवल बी.ई./बी. एवं डी.फार्मेसी/बी.आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों के लिये

- संस्थागत प्राथमिकता सीटों (Institutional Preference Seats) के लिये काउंसलिंग केवल उन संस्थानों में आयोजित होगी जिन्होंने इन सीटों के लिये सहमति पत्र के साथ निर्धारित तिथि तक आवेदन किया है।
- संस्थागत प्राथमिकता सीटों के अंतर्गत एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थान उपलब्ध होगे।
- संस्थागत प्राथमिकता सीटों की काउंसलिंग में उम्मीदवारों का प्रवेश संस्था स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

- अभ्यर्थी को पंजीयन उपरान्त अपने दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत सहायता केन्द्रों से करवाना होगा।
- पूर्ववर्ती चरणों में जिन अभ्यर्थियों ने अपने समस्त दस्तावेजों का सत्यापन करा लिया है उन्हें पुनः सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।
- इन सीटों के लिये उपलब्ध संस्थानों की सूची एवं उनके द्वारा इन सीटों पर प्रवेशित अभ्यर्थियों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।
- प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को संस्था द्वारा जारी विज्ञापन तथा काउंसलिंग वेबसाईट पर उपलब्ध तिथि को इच्छित संस्था में अपने मूल दस्तावेजों के साथ ऑनलाईन पंजीयन तथा सत्यापन की पावती के साथ प्रवेश हेतु उपस्थित होना होगा।
- सर्वप्रथम प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की मेरिट तत्पश्चात् सीटें रिक्त रहने की दशा में अर्हकारी परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
- बी.आर्क. में नाटा–2019 तथा अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों का 50–50 प्रतिशत अंकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा एवं सीटें रिक्त रहने पर जेईई(मेन)–2019 पेपर–2 तथा अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों का 50–50 प्रतिशत अंकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
- संस्था अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज किसी भी परिस्थिति में अपने पास न रखें।
- इन सीटों को **''केन्द्रीयकृत काउंसलिंग के चरण''** पूर्ण होने के उपरांत भरने की अनुमति होगी।
- यदि संबंधित संस्था इन स्थानों पर प्रवेश नहीं कर पाती है अथवा इन सीटों पर आंशिक रूप से प्रवेश करती है, तो ये सीटें रिक्त रहेंगी एवं इन्हें परामर्श (काउंसलिंग) के किसी भी चरण में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
- इस प्रवर्ग के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा।
- विस्तृत प्रवेश प्रक्रिया एवं समय–सारणी तत्समय वेबसाइट पर जारी की जावेगी।
- किसी संस्था अथवा अभ्यर्थी द्वारा मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है अथवा दिया गया है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा समस्त ऐसे प्रवेश निरस्त किये जायेंगे तथा ये स्थान रिक्त रहेंगे।

विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/ खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय मूल के नागरिकों के बालकों (सी.आई.डब्ल्यू.जी.सी.) सीटों के अंतर्गत प्रवेश

- ऐसी संस्थायें जिन्हें एआईसीटीई के अनुमोदन में विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/सीआईडब्ल्यूजीसी के अभ्यर्थियों की सीटों के लिये भी अनुमोदन प्रदान किया जाता है तब ऐसी संस्थाओं को स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अधिकतम 15 प्रतिशत (अधिसंख्य) स्थान पर प्रवेश देने की पात्रता होगी। ऐसे स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित प्रक्रियानुसार भरे जा सकेगें।

- संबंधित संस्था के लिये यह अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थियों की वास्तविकताओं तथा उनके अभिलेखों को सुनिश्चित करें तथा उन्हे सक्षम प्राधिकारी, शासन, एआईसीटीई को कोई जानकारी या वांछित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराएं।
- प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को संबधित दूतावास से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि वह भारत में अध्ययन कर सकता है। नेपाल के अभ्यर्थियों को प्रमाणीकृत निवास प्रमाण पत्र (Passport or Citizion ship card) भारतीय दूतावास काठमांडु, नेपाल या नेपाली दूतावास, नई दिल्ली से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- सभी चयनित विदेशी नागरिक अभ्यर्थियों को विदेशों में भारतीय मिशन (Indian Missions Abroad) से वैद्य विद्यार्थी वीजा, प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश